न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

वाद–पत्र संख्या : 55/2018 दायरा दिनांक : 04.04.2018

अनवान :

उदाराम पुत्र श्री रतिराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
——— वादी

बनाम्

1. अमर सिंह पुत्र श्री हुक्माराम जाति नायक निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। (फौत)

1/2 श्री हरिराम पुत्र स्व0 श्री अमरसिंह जाति नायक निवासी ग्राम खिंचिया तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर पो.आ. श्यामगढ़ पिनकोड 335051

1/3 श्री सुरेन्द्र
1/4 श्री सन्तराम
1/5 श्री महेन्द्र
} पिसरान स्व0 श्री अमरसिंह अकवाम् नायक निवासीयान ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/6 श्रीमति शकुन्तला पुत्री स्व0 श्री अमरसिंह पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह ज़ाति नायक निवासी ग्राम सतीरवाला पो.आ. साबूआना तहसील व जिला फाजिल्का, पंजाब।

2. चन्दूराम पुत्र श्री हुक्माराम जाति नायक निवसी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। (फौत)

2/1 श्रीमति कमला पत्नि
2/2 श्री राकेश पुत्र
2/3 श्री पप्पू पुत्र
} स्व0 श्री चन्द्रराम अकवाम नायक निवासीयान ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

2/4 श्रीमति राजू देवी पुत्री स्व0 श्री चन्दूराम पत्नि श्री लालचन्द जाति नायक निवासी ग्राम सिधूवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

2/5 श्रीमति सुमन पुत्री स्व0 श्री चन्दूराम पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति नायक निवासी ग्राम व पोस्ट दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

3. राजस्थान–सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।
——— प्रतिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा–53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा वकील वादी
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार प्रतिवादी सं. 3
3. एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/6 व 2/1 ता 2/5

दिनांक 28/08/2019

निर्णय दिनांक : 21.09.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा अपना वाद–पत्र अन्तर्गत धारा–53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 3 KSR तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 2073 की संयुक्त खाता सं. 3 नई 2 पुरानी में मु. नं. 36 प. नं. 61/338 कि. नं. 21 ता 25/1.265 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि अमरसिंह प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1/3 हिस्सा चन्दूराम प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 1/3 हिस्सा पिसरान हुक्माराम अकवाम नायक व वादी के नाम से 1/3 हिस्सा सा0 श्योपुरा खातेदार के नाम से अंकित है। उक्त वर्णित खाता की कुल 1.265 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में वादी 1/3 हिस्सा यानि 0.442 है0 का अंकित हिस्सेदार व खातेदार है। नकल जमाबन्दी वाद–पत्र के साथ पेश की गई है जो कि वाद–पत्र का एक मुख्य भाग व वाद–पत्र की आधारशिला है। वादी एवं मृतक प्रतिवादी 1 व 2 के द्वारा अपने ... लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 17:01:06 IST
Reason: SelfAttested

जीवनकाल में वर्षों पूर्व संयुक्त खाता में वर्णित कुल 1.265 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि का अपने हिस्सानुसार आपसी सहमति व रजामन्दी से काश्त की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए घरुतौर पर मौका पर बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार (1) वादी का चक 3 KSR के प. नं. 61/338 कि. नं. 21/0.253, 22/0.169 (इस किले का पश्चिमी पासा) कुल 0.422 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि पर, (2) प्रतिवादी सं. 1 मृतक अमरसिंह (प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/6 के पति व पिता) का चक 3 KSR के प. नं. 61/338 कि. नं. 22/0.084 (इस किले का पूर्वी पासा), 23/0.253, 24/0.085 (इस किले का पश्चिमी पासा) कुल 0.422 है0 नहरी खातेदारी भूमि पर (3) प्रतिवादी सं. 2 मृतक चन्दूराम (प्रतिवादी सं. 2/1 ता 2/5 के पति व पिता) का चक 3 KSR प. नं. 61/338 कि. नं. 24/0.168 (इस किले का पूर्वी पासा), 25/0.253 कुल 0.421 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा मौका पर सौंपा गया था। इसी अनुसार ही वादी और प्रतिवादी सं. 1 व 2 का मौका पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के स्वर्ग सिधारने के पश्चात उक्त अनुसार ही उनके वारिसान का कब्जा काश्त मौका पर चला आ रहा है। उक्त घरु तौर पर किये हुए बंटवारा मुताबिक कब्जा काश्त में चली आ रही अपनी भूमि चक 3 KSR प. नं. 61/338 कि. नं. 21/0.253 व 22/0.169 (इस किले का पश्चिमी पासा) कुल 0.422 है0 नहरी खातेदारी भूमि को वादी ने अपनी मेहनत मुश्कत से इसमें कम्प्यूटर कराया लगवाकर इसमें गोबर की खाद डलवाकर इसमें काफी खर्चा कर उपजाऊ बनाया गया है। इसलिये वादी अपने हिस्सानुसार कब्जा काश्त में चली आ रही विशिष्ट भूमि का खाता विभाजन द्वारा अपने नाम से जमाबन्दी में अलग खाता कायम करवाना चाहता है। वादी की भूमि संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण कृषि भूमि की राजस्व व सिंचाई विभाग की रकम को जमा करवाने और राज्य सरकार द्वारा लघु काश्तकारों के सहयोगार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा नहीं पा रहा है। इसलिये दिनांक 20.03.2018 को ग्राम श्योपुरा में कब्जा काश्त मुताबिक प्रतिवादी सं. 1 व 2 के वारिसों प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/6 वं 2/1 ता 2/5 को इकट्ठा होकर तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर मौका पर कब्जा काश्त मुताबिक विभाजन करवाने के कहे जाने पर वे यह कहकर इन्कार हो गये कि हमें आवश्यकता नहीं है और ना ही हमारे पास फालतू समय व खर्च करने के लिये रुपये है। तुम्हें आवश्यकता है तो तुम अपने नाम से अपनी भूमि अंकित करवा लो। बस यही से वाद कारण उत्पन्न होने पर वादी द्वारा अपना यह वाद पत्र पेश किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के स्वर्ग सिधारने के कारण अपने प्रयासों और निजी जानकारी से इनके सभी जायज वारिसों को अपने वाद–पत्र में पक्षकार बनाया गया है। इनका कोई अन्य वारिस होगा तो उसे वादी अपने वाद–पत्र में पक्षकार बनाये जाने को तैयार व तत्पर हैं। वाद–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने के आदेश पारित किये गये।

यह कि दिनांक 20.08.2019 को प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/6 व 2/1 ता 2/5 और 3 रजि0 मय ए.डी. सम्मन द्वारा तामील के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा हारिज नहीं आने और जवाबदावा पेश नहीं किये जाने पर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु रखी गई। वादी द्वारा अपना साक्ष्य दिनांक 24.10.2019 को स्वयं का, गवाह रिछपाल पुत्र श्री रतिराम व दुलीचन्द और दिनांक 13.12.2019 को गोपालराम व रामप्रताप के शपथ–पत्र प्रस्तुत कियका गया। प्रतिवादी जिरह हेतु उपस्थित नहीं होने पर शपथ–पत्रों पर जिरह शून्य अंकित करते हुये जिरह बंद कर प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु पत्रावली रखी गई। दिनांक 2801.2020 को प्रतिवादीगण के साक्ष्य बंद कर पत्रावली वास्ते बहस हेतु रखी गई।

पत्रावली में दिनांक 18.02.2020 को प्रस्तुत होने पर वकील वादी व प्रतिवादी सं. 3 पैरोकार राज की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुताबिक घरु तौर पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के जीवनकाल में उनके व वादी द्वारा किये हुये आपसी सहमति व रजामन्दी से हिस्सानुसार काश्त की सुविधा को मध्यनजर रखते हुये किये बंटवारा मुताबिक वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि का किया जाने का निवेदन किया गया। वादी द्वारा निवेदन किया कि अपने व अपने गवाहों के ब्यानों द्वारा अपना वाद–पत्र साबित किया गया है इसलिये उसे न्यायहित में स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी सं. 3 के द्वारा अपनी बहस में वाद वादी की हद तक स्वीकार किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति ना होने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 17:01:06 IST
Reason: SelfAttested

लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उभय पक्ष की बहस सुने जाने पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चक 3 KSR तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 2073 की संयुक्त खाता संख्या 3 नई 2 पुरानी प्रदर्श–1 में मु. नं. 36 व प. नं. 61/338 कि. नं. 21 ता 25/1.265 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि वादी के नाम से 1/3 हिस्सा और प्रतिवादी सं. 1 मृतक अमरसिंह (प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/6 के पति व पिता) के नाम से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 मृतक चन्दूराम (प्रतिवादी सं. 2/1 ता 2/5 के पति व पिता) के नाम से 1/3 हिस्सा अंकित है। जिसमें वादी 1/3 हिस्सा का अंकित हिस्सेदार व खातेदार होना साबित है। वादी द्वारा उक्त वर्णित खाता की कुल 1.265 है0 नहरी खातेदारी भूमि में अपने सहखातेदारान प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ काश्त करने की सुविधा को मध्यनजर रखते हुये आपसी सहमति व रजामन्दी से घरु तौर पर अपने हिस्सानुसार बंटवारा कर मौका पर चक 3 KSR के मु. नं. 36 प. नं. 61/338 के कि. नं. 21/0.253 व 22/0.169 (इस किले के पश्चिमी पासा) पर कब्जा काश्त वर्षो पूर्व का चले आना वादी द्वारा अपने शपथ–पत्र और गवाहों रिछपाल, दुलीचन्द, रामप्रताप व गोपालराम के शपथ–पत्रों के माध्यम से साक्ष्य पेश किया गया है। वादी के कथनों को गवाहों द्वारा अपने शपथ–पत्रों के माध्यम से साबित किया गया है। जिसके अनुसार वादी का घरुतौर पर आपसी सहमति व रजामन्दी से कब्जा काश्त में चली आ रही सुधारी हुई भूमि खाता विभाजन द्वारा अपने नाम से उक्त वर्णित विशिष्ट भूमि का विभाजन करवाने का नियमानुसार अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कथनों व उसकें द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खण्डन किसी भी प्रकार से नहीं किया गया है। इसलिये न्यायहित में वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 3 KSR तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 2073 की संयुक्त खाता संख्या 3 नई 2 पुरानी में मु. नं. 36 प. नं. 61/338 कि. नं. 21 ता 25/1.265 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में से वादी के 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि का मुताबिक वादी के कब्जा काश्त के वादी का खाता विभाजन द्वारा वादी के नाम से चक 3 KSR तहसील सूरतगढ़ के मु. नं. 36 प. नं. 61/338 कि. नं. 21/0.253, 22/0.169 (इस किले का पश्चिमी पासा) कुल 0.422 है0 नहरी भूमि का प्रतिवादीगण से अलग से खाता राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में कायम किये जाने और खाता की शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम से उनके हिस्सानुसार आदेश तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के नाम से पारित किये जाते है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर पत्रावली बाद तरतीब व तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक 21.09.2020 को मेरे द्वारा यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 17:01:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकददम इब्तदाई (अन्तिम डिक्री)

(आ0 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास :– श्री मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :

उदाराम पुत्र श्री रतिराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। ––– **वादी**

बनाम्

1. अमर सिंह पुत्र श्री हुक्माराम जाति नायक निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। (फौत)

1/2 श्री हरिराम पुत्र स्व0 श्री अमरसिंह जाति नायक निवासी ग्राम खिंचिया तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर पो.आ. श्यामगढ़ पिनकोड 335051

1/3 श्री सुरेन्द्र
1/4 श्री सन्तराम
1/5 श्री महेन्द्र
} पिसरान स्व0 श्री अमरसिंह अकवाम् नायक निवासीयान ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/6 श्रीमति शकुन्तला पुत्री स्व0 श्री अमरसिंह पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह जाति नायक निवासी ग्राम सतीरवाला पो.आ. साबूआना तहसील व जिला फाजिल्का, पंजाब।

2. चन्दूराम पुत्र श्री हुक्माराम जाति नायक निवसी ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। (फौत)

2/1 श्रीमति कमला पत्नि
2/2 श्री राकेश पुत्र
2/3 श्री पप्पू पुत्र
} स्व0 श्री चन्द्रराम अकवाम नायक निवासीयान ग्राम श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

2/4 श्रीमति राजू देवी पुत्री स्व0 श्री चन्दूराम पत्नि श्री लालचन्द जाति नायक निवासी ग्राम सिधूवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

2/5 श्रीमति सुमन पुत्री स्व0 श्री चन्दूराम पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति नायक निवासी ग्राम व पोस्ट दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

3. राजस्थान–सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।

––– **प्रतिवादी**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा–53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

मुकदमा नं. 55/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादी राकेश कुमार मनचन्दा, प्रतिवादी सं. 3 पैरोकारराज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़, के अदालत में पेश होने पर खाता विभाजन का हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 3 KSR तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 2073 की संयुक्त खाता संख्या 3 नई 2 पुरानी में मु. नं. 36 प. नं. 61/338 कि. नं. 21 ता 25/1.265 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में से वादी के 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि का मुताबिक वादी के कब्जा काश्त के वादी का खाता विभाजन द्वारा वादी के नाम से चक 3 KSR तहसील सूरतगढ़ के मु. नं. 36 प. नं. 61/338 कि. नं. 21/0.253, 22/0.169 (इस किले का पश्चिमी पासा) कुल 0.422 है0 नहरी भूमि का प्रतिवादीगण से अलग से खाता राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में कायम किये जाने और खाता की शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम से उनके हिस्सानुसार आदेश तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के नाम से जारी किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 17:01:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

लगातार 2 पर

इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को अंकन किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा पक्षकारान द्वारा अपना–अपना वहन किया जायेगा।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×..... आज की तरीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिदत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 21.09.2020 को जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 17:01:06 IST
Reason: SelfAttested